न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या – 234/2023

प्रार्थिनी	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**

मोहनीदेवी पत्नि कुम्पाराम जाति कुम्हार निवासी मोतीसरा हाल पायला खुर्द, तहसील सिणधरी	1. अल्लारख पुत्र नसीर 2. गीगा पुत्र नसीर 3. मुस्तान पुत्र नसीर 4. रमजान पुत्र नसीर 5. हनीफ पुत्र नसीर 6. बगू पत्नि नसीर 7. इलियासखां पुत्र फकीरखा 8. यूसूबखां पुत्र फकीरखां 9. शहीदाबानो पत्नि फकीरखां 10. मांगा पुत्र सुलेमान जातियान मोयला निवासी पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 11. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री अर्जुनराम प्रजापत वकील वादीनी उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 11 के पैरोकार सरकार उप0।
3. शेष प्रतिवादीगण एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 11.07.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्[illegible] विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने हेतु श्रीमान के समक्ष [illegible] किया जा [illegible] है जि[illegible] वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण [illegible] है,कि प्रार्थी [illegible] विप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 273/1 रकबा 3.8832 हैक्टेयर [illegible] पायला खुर्द पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में आया हु[illegible] उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीनी का 1/2 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। इसी अनुरूप हिस्साकस्सी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी की खुल्ली हुई है तथा राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अलग–अलग हिस्से दर्ज है एवं इसी हिस्सों में माफिक प्रार्थी विवादित भूमि पर काबिज है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है परन्तु प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेदो को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण, प्रार्थी के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:55:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

श्त में लगातार दंखलन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को ोड रहे है एवं प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रखोबदल करने पर प्रयासरत है। जबकि वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है जिस कारण प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच पर समान हक हिस्सा है इस तथ्य को लेकर प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य अरसा एक माह से तनाव की स्थिति बनी हुई है, साथ ही प्रार्थी अपने हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु सहकारी संस्था एवं विकास बैंक जैसी संस्थाओं से ऋण लेना चाहते है किन्तु भूमि सामलाती होने से प्रार्थी को कई परेशानियों एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विप्रार्थीगण बेशकीमती व विशिष्ट भू–भाग वाली भूमि पर नया निर्माण आदि कर हथियाने का प्रयास कर रहे है,यदि ऐसा करने में विप्रार्थीगण सफल हो गये तो प्रार्थीनी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है,कि सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि में रेकर्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार कर खेत खसरा संख्या 273/1 रकबा 3.8832 हैक्टेयर किस्म मौजा पायला खुर्द पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में प्रार्थीनी के कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 व उसके परिवार सदस्य या एजेन्ट किसी प्रकार की दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं करें तथा न ही जबरन प्रार्थी को बेदखल करने का प्रयास करें, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जायें।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। कि प्रार्थी तथा विप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 273/1 रकबा 3.8832 हैक्टेयर मौजा पायला खुर्द पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीनी का 1/2 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। इसी अनुरूप हिस्साकस्सी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी की खुल्ली हुई है तथा राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अलग–अलग हिस्से दर्ज है एवं इसी हिस्सों में माफिक प्रार्थी विवादित भूमि पर काबिज है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है परन्तु प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेदो को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण, प्रार्थी के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखलन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड रहे है एवं प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रखोबदल करने पर प्रयासरत है। जबकि वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है जिस कारण प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच पर समान हक हिस्सा है इस तथ्य को लेकर प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य अरसा एक माह से तनाव की स्थिति बनी हुई है, साथ ही प्रार्थी अपने हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु सहकारी संस्था एवं विकास बैंक जैसी संस्थाओं से ऋण लेना चाहते है किन्तु भूमि सामलाती होने से प्रार्थी को कई परेशानियों एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विप्रार्थीगण बेशकीमती व विशिष्ट भू–भाग वाली भूमि पर नया निर्माण आदि कर हथियाने का प्रयास कर रहे है के सन्दर्भ में ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे प्रथम दृष्टया यह साबित होता हो कि विप्रार्थीगण द्वारा ऐसा को कृत्य कारित किया जा रहा है अथवा किया गया है। प्राथीनी स्वंय द्वारा भी अपने आवेदन के तथ्यों में स्वीकार किया कि सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इन पर समान हक व हिस्सा होता है, ऐसी स्थिति में यह कथन प्रतिपादित नहीं होता है कि किसी सहखातेदार को उसके हिस्से में कब्जे काश्त को लेकर पाबन्द किया जावे। जहां तक पक्षकार के कब्जे काश्त के अनुरूप विधिवत

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:55:35 IST
Reason: SelfAttested

...वाड़े को प्रश्न है, जो मूलवाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होगा ? ऐसी स्थिति में प्रथम द्रष्टया प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:55:35 IST
Reason: SelfAttested